बृज भूषण कौशिक बनाम हरियाणा राज्य (तेजिंदर सिंह ढींढसा, जे.)

तेजिंदर सिंह ढींढसा, जे. के समक्ष

बृज भूषण कौशिक--याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य--प्रतिवादी

सीआरएम-एम-31327 आफ 2013

19 अप्रैल 2018

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 21 - शीघ्र सुनवाई का अधिकार - ऐसा अधिकार न केवल अदालत में वास्तविक कार्यवाही पर लागू होता है, बल्कि इसमें पूर्ववर्ती पुलिस जांच भी शामिल होगी - यह सभी आपराधिक कार्यवाही पर समान रूप से लागू होता है और किसी विशेष श्रेणी के मामलों तक सीमित नहीं होगा - प्रत्येक मामले में, जहां अधिकार हो त्वरित सुनवाई के लिए कथित तौर पर उल्लंघन किया गया है - उच्च न्यायालय संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलन कार्य करने के लिए बाध्य होगा और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि क्या किसी दिए गए मामले में उक्त अधिकार से इनकार किया गया है - यदि न्यायालय आता है यह निष्कर्ष कि अधिकार का उल्लंघन किया गया है - आरोप या दोषसिद्धि को रद्द किया जा सकता है - इसके विपरीत, यदि न्यायालय को अपराध की प्रकृति और अन्य परिचर और प्रासंगिक परिस्थितियों के संबंध में लगता है, तो कार्यवाही को रद्द करना उसके हित में नहीं हो सकता है, न्याय - न्यायसंगत और न्यायसंगत समझे जाने वाले उचित आदेश देने के लिए न्यायालय स्वतंत्र होगा - जिसमें मुकदमे के समापन के लिए समय का निर्धारण भी शामिल है - आपराधिक कार्यवाही की जांच में देरी - समान आवेदन के अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सिद्धांत तैयार करना संभव नहीं होगा त्वरित जांच के लिए या किसी मनमानी सीमा अवधि को निर्धारित करने के लिए जिसके भीतर जांच पूरी की जानी चाहिए - कारकों की संख्या को ध्यान में रखना होगा।

माना गया कि अब तक यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि सभी आपराधिक मुकदमों में त्वरित सुनवाई का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक अपरिहार्य अधिकार है। ऐसा अधिकार न केवल अदालत में वास्तविक कार्यवाही पर लागू होता है, बल्कि इसके दायरे में पूर्ववर्ती पुलिस जांच भी शामिल होगी। त्वरित सुनवाई का अधिकार सभी आपराधिक मुकदमों पर समान रूप से लागू होता है और यह किसी विशेष श्रेणी के मामलों तक सीमित नहीं होगा। प्रत्येक मामले में, जहां त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होने का आरोप लगाया गया है, यह

न्यायालय संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलन कार्य करने के लिए बाध्य होगा और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि क्या त्वरित सुनवाई के अधिकार से इनकार किया गया है। किसी दिए गए मामले में. यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी अभियुक्त के त्वरित मुकदमे के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो आरोप या दोषसिद्धि, जैसा भी मामला हो, रद्द किया जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत यदि न्यायालय को लगता है कि इसके संबंध में अपराध की प्रकृति और अन्य परिचर और प्रासंगिक परिस्थितियों, कार्यवाही को रद्द करना न्याय के हित में नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में यह न्यायालय के लिए खुला होगा कि वह न्यायसंगत और न्यायसंगत उचित आदेश दे जिसमें निष्कर्ष के लिए समय का निर्धारण भी शामिल हो। शीर्ष न्यायालय के फैसले का संदर्भ का, इस संबंध में **पंकज कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2008(4) आरसीआर (क्रि.) 890** परीक्षण में दिया जा सकता है।

(पैरा 7)

इसके अलावा, यह भी माना गया कि आपराधिक कार्यवाही की जांच में देरी का मुद्दा भी, क्या अपने आप में मामले के पंजीकरण के अनुसरण में कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार के रूप में काम करेगा, चाहे देरी के कारण जो भी हों, सामने आया है। कई मामलों पर विचार, यह माना गया है कि यदि किसी आपराधिक कार्यवाही की जांच जांच एजेंसी की अक्षमता के कारण धीमी गति से चलती है, जिससे अनुचित और पर्याप्त देरी होती है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर पूर्वाग्रह या अभियुक्तों को नुकसान होता है, तो यह अदालतों के लिए हस्तक्षेप करने के लिए खुला होगा। ऐसी जांच में आगे की कार्यवाही को रद्द करने के कठोर उपाय का सहारा लेना। हालाँकि, त्वरित जांच के लिए अनम्य दिशानिर्देश या एकसमान अनुप्रयोग के कठोर सिद्धांत तैयार करना या किसी आपराधिक मामले में जांच पूरी होने के लिए सीमा की कोई मनमानी अवधि निर्धारित करना संभव नहीं होगा। कई कारकों को ध्यान में रखना होगा यानी क्या देरी अनुचित रूप से लंबी थी या जानबूझकर या जानबूझकर आरोपी की रक्षा में बाधा डालने के लिए की गई थी।

(पैरा 8)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - रद्दीकरण - धारा के तहत एफआईआर। 420, 468, 471, 120-बी आईपीसी और धारा 13(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम - भारत का संविधान, 1950 - कला। 21 - त्वरित जांच और सुनवाई का अधिकार - 1994 की घटना से संबंधित वर्ष 1997 में दर्ज की गई एफआईआर - लगभग 19 वर्षों के बाद वर्ष 2016 में आरोप पत्र दायर किया गया - याचिकाकर्ता तत्कालीन उप प्रभागीय मैजिस्ट्रेट थे जिनके पास प्रशासक, नगर परिषद का अतिरिक्त प्रभार था –

बृज भूषण कौशिक बनाम हरियाणा राज्य (तेजिंदर सिंह ढींढसा, जे.)

नगर परिषद के अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से, उन भूखंडों के संबंध में भी अपात्र व्यक्तियों को आवंटन करने का आरोप है, जिन्हें अन्यथा नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाना था - चालान दस्तावेज़ प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता द्वारा अपराध किए जाने का खुलासा करता है - उच्च न्यायालय मामले के गुण-दोषों पर विचार करने से परहेज किया जाएगा - राज्य को देरी के बारे में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया - दाखिल किए गए अतिरिक्त हलफनामे में चालान दस्तावेज दाखिल करने में देरी के संबंध में पर्याप्त और प्रशंसनीय स्पष्टीकरण दिखाया गया - ऐसा मामला नहीं है जहां देरी के लिए जांच एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और अभियुक्त/याचिकाकर्ता पर किसी भी तरह का पूर्वाग्रह पैदा करने के परोक्ष उद्देश्य के साथ - विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, चालान दाखिल करने में देरी को शुरू किए गए आपराधिक अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जाएगा - याचिका खारिज - सुनवाई और कार्यवाही में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी किए गए इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और छह महीने की अवधि के भीतर समाप्त किया जाए।

माना गया कि चालान दस्तावेज़ प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता द्वारा अपराध किए जाने का खुलासा करता है। यह अदालत मामले के गुण-दोष और उस तरीके और पद्धति पर विचार करने से बचेगी जिसमें याचिकाकर्ता ने नगर परिषद, सिरसा के प्रशासक का कार्यभार संभालते समय अन्य सह-अभियुक्तों/नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा लगाए गए एक आधिकारिक नोट को मंजूरी दी थी। , सिरसा और इस प्रकार ऑटो मार्केट, सिरसा में भूखंडों का आवंटन किया गया और इस प्रकार आवंटन की प्रक्रिया यानी नीलामी के माध्यम से विचलन किया गया। ये ऐसे मामले हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए और उचित साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के दौरान निपटाया जाना चाहिए। आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और मुख्य रूप से दस्तावेजी सबूतों पर आधारित हैं।

(पैरा 11)

इसके अलावा, यह माना गया कि उपरोक्त तथ्यात्मक आधार और जैसा कि पुलिस उपाधीक्षक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, सिरसा रेंज हिसार कार्यालय के दिनांक 08.09.2017 के अतिरिक्त हलफनामे में बताया गया है, चालान दाखिल करने में देरी के संबंध में पर्याप्त और प्रशंसनीय दस्तावेज़ स्पष्टीकरण प्रदान करता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां देरी के लिए जांच एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और इसका उद्देश्य यहां आरोपी/याचिकाकर्ता पर कोई पूर्वाग्रह पैदा करना है। ऊपर देखे गए विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, चालान दस्तावेज़ दाखिल

करने में देरी को शुरू किए गए आपराधिक अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जाएगा।

(पैरा 14)

इसके अलावा, यह माना गया कि ऊपर दर्ज किए गए कारणों और अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विवादित एफआईआर को रद्द करने की तत्काल याचिका में प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है। हालाँकि, इस तथ्यात्मक आधार को ध्यान में रखते हुए कि एफआईआर वर्ष 1997 में दर्ज की गई थी और चालान दस्तावेज वर्ष 2016 में प्रस्तुत किया गया था और मुकदमा चलाने की मंजूरी भी वर्ष 2016 में ही दी गई थी, मुकदमे के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। न्यायालय को मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लेने और इस आदेश के पारित होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर इसे समाप्त करने का निर्देश दिया गया।

(पैरा 16)

व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।
श्री दीपक के. ग्रेवाल, डीएजी, हरियाणा।

राकेश कुमार जैन, जे.

(1) त्वरित याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर की गई है। पुलिस स्टेशन राज्य सतर्कता ब्यूरो, हिसार, जिला हिसार में दर्ज धारा 420/468/471/120-बी आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत एफआईआर नंबर 4, दिनांक 12.04.1997 और उससे निकलने वाली सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई ।

(2) याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ, ने कहा कि यह गलत आरोप लगाने का मामला है और याचिकाकर्ता के अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलीभगत होने और सत्ता के दुरुपयोग/दुरुपयोग और व्यक्तिगत लाभ के लिए ऑटो मार्केट, सिरसा में प्लॉट आवंटित करने के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। निराधार. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता 25.07.1991 से 06.10.1994 तक उपमंडल मैजिस्ट्रेट, सिरसा था और उसके पास 19.03.1994 से 06.10.1994 तक प्रशासक, नगर परिषद, सिरसा का अतिरिक्त प्रभार था। तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी, जिला नगर योजनाकार, सचिव और अन्य अधिकारी नगर परिषद, सिरसा ने 28.03.1994 को नियमित तरीके से एक आधिकारिक नोट जारी किया था, जिसमें ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के नए सदस्यों को ऑटो

मार्केट, सिरसा के खाली भूखंडों को आवंटित करने का प्रस्ताव था। याचिकाकर्ता ने प्रशासक का कार्यभार संभालते हुए नियमित तरीके से और अच्छे विश्वास में आधिकारिक नोट को मंजूरी दे दी थी क्योंकि नगर परिषद, सिरसा को खाली भूखंडों के आवंटन से वित्तीय रूप से लाभ होना था। आग्रह किया गया है कि ऐसी परिस्थिति में याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए।

(3) याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसे त्वरित जांच और सुनवाई के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है क्योंकि विवादित एफआईआर वर्ष 1994 में किए गए कुछ आवंटनों से संबंधित वर्ष 1997 में दर्ज की गई थी और आरोप पत्र वर्ष 2016 में दायर किया गया है। लगभग 20 वर्षों की अत्यधिक देरी के बाद, यह जोरदार तर्क दिया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में, देरी घातक होगी और दिनांक 12.04.1997 की एफआईआर के संबंध में आपराधिक कार्यवाही कायम नहीं रह सकती है।

(4) याचिकाकर्ता द्वारा दी गई एक और दलील यह है कि इस मामले में शिकायतकर्ता, अर्थात् श्री हजारा राम और डॉ. मंगत राय गगनेजा ने इस न्यायालय में 1997 की सीडब्ल्यूपी संख्या 5214, जिसका शीर्षक हजारा राम और अन्य बनाम था, दायर की थी। हरियाणा राज्य और अन्य और जिसमें मामला ऑटो मार्केट, सिरसा में अपात्र व्यक्तियों को महंगे भूखंडों के गलत आवंटन से संबंधित था और ऐसी रिट याचिका को इस न्यायालय ने दिनांक 01.05.2010 के आदेश के आलोक में खारिज कर दिया था। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित याचिकाकर्ता द्वारा यह दलील दी गई कि ऑटो मार्केट, सिरसा में भूखंडों के आवंटन से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने और नगर परिषद के रिकॉर्ड से सत्यापन करने के बाद इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। तर्क दिया गया कि रिट याचिका को खारिज करने के परिणामस्वरूप जिसमें ऑटो मार्केट, सिरसा में भूखंडों के गलत आवंटन का मामला था, समान आरोपों पर आपराधिक मुकदमा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

(5) इसके विपरीत, विद्वान राज्य वकील का कहना है कि अंतिम जांच रिपोर्ट/चालान प्रस्तुत करने में देरी जांच एजेंसी के लिए जिम्मेदार नहीं थी और इस तरह की देरी उप अधीक्षक के दिनांक 08.09.2017 के अतिरिक्त हलफनामे की सामग्री के अनुसार पूरी तरह से स्पष्ट है। पुलिस, राज्य सतर्कता ब्यूरो, हिसार और जिसे रिकॉर्ड पर रखा गया था। इसके अलावा, विद्वान राज्य वकील ने प्रस्तुत किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराध याचिकाकर्ता द्वारा किया गया है और ऐसी परिस्थितियों में, यह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और आक्षेपित एफआईआर को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं होगा।.

(6) पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुनने और रिकॉर्ड पर दलीलों का अध्ययन करने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि मामले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(7) अब तक यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि सभी आपराधिक मुकदमों में त्वरित सुनवाई का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक अपरिहार्य अधिकार है। ऐसा अधिकार न केवल अदालत में वास्तविक कार्यवाही पर लागू होता है, बल्कि इसके दायरे में पूर्ववर्ती पुलिस जांच भी शामिल होगी। त्वरित सुनवाई का अधिकार सभी आपराधिक मुकदमों पर समान रूप से लागू होता है और यह किसी विशेष श्रेणी के मामलों तक सीमित नहीं होगा। प्रत्येक मामले में, जहां त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होने का आरोप लगाया गया है, यह न्यायालय संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलन कार्य करने के लिए बाध्य होगा और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि क्या त्वरित सुनवाई के अधिकार से इनकार किया गया है। किसी दिए गए मामले में. यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी अभियुक्त के त्वरित मुकदमे के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो आरोप या दोषसिद्धि, जैसा भी मामला हो, रद्द किया जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत यदि न्यायालय को लगता है कि इसके संबंध में अपराध की प्रकृति और अन्य परिचर और प्रासंगिक परिस्थितियों, कार्यवाही को रद्द करना न्याय के हित में नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में यह न्यायालय के लिए खुला होगा कि वह न्यायसंगत और न्यायसंगत उचित आदेश दे जिसमें निष्कर्ष के लिए समय का निर्धारण भी शामिल हो। शीर्ष न्यायालय के फैसले का संदर्भ का, इस संबंध में **पंकज कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य,** परीक्षण में दिया जा सकता है।

(8) यहां तक कि आपराधिक कार्यवाही की जांच में देरी का मुद्दा भी, क्या यह अपने आप में मामले के पंजीकरण के अनुसरण में कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार के रूप में काम करेगा, चाहे देरी के कारण जो भी हों, विचार के लिए सामने आया है। कई मामलों में, यह माना गया है कि यदि किसी आपराधिक कार्यवाही की जांच जांच एजेंसी की अक्षमता के कारण धीमी गति से चलती है, जिससे अनुचित और पर्याप्त देरी होती है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर पूर्वाग्रह या अभियुक्तों को नुकसान होता है, तो यह अदालतों के लिए हस्तक्षेप करने के लिए खुला होगा। ऐसी जांच में आगे की कार्यवाही को रद्द करने के लिए कठोर उपाय का सहारा लेना। हालाँकि, त्वरित जांच के लिए अनम्य दिशानिर्देश या एकसमान अनुप्रयोग के कठोर सिद्धांत तैयार करना या किसी आपराधिक मामले में जांच पूरी होने के लिए सीमा की कोई मनमानी अवधि निर्धारित करना संभव नहीं होगा। कई कारकों को ध्यान में

रखना होगा यानी क्या देरी अनुचित रूप से लंबी थी या जानबूझकर या जानबूझकर आरोपी की रक्षा में बाधा डालने के लिए की गई थी।

(9) यहां तक कि आपराधिक कार्यवाही की जांच में देरी का मुद्दा भी, क्या यह अपने आप में मामले के पंजीकरण के अनुसरण में कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार के रूप में काम करेगा, चाहे देरी के कारण जो भी हों, कई मामलों में विचार के लिए सामने आए हैं। मामलों की. यह माना गया है कि यदि किसी आपराधिक कार्यवाही की जांच जांच एजेंसी की अक्षमता के कारण धीमी गति से चलती है, जिससे अनुचित और पर्याप्त देरी होती है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर पूर्वाग्रह या अभियुक्तों को नुकसान होता है, तो यह अदालतों के लिए हस्तक्षेप करने के लिए खुला होगा। ऐसी जांच में आगे की कार्यवाही को रद्द करने के लिए कठोर उपाय का सहारा लेना। हालाँकि, त्वरित जांच के लिए अनम्य दिशानिर्देश या एकसमान अनुप्रयोग के कठोर सिद्धांत तैयार करना या किसी आपराधिक मामले में जांच पूरी होने के लिए सीमा की कोई मनमानी अवधि निर्धारित करना संभव नहीं होगा। कई कारकों को ध्यान में रखना होगा यानी क्या देरी अनुचित रूप से लंबी थी या जानबूझकर या जानबूझकर आरोपी की रक्षा में बाधा डालने के लिए की गई थी।

(10) मौजूदा मामले के तथ्यों पर गौर करें और अगस्त 2016 के महीने में प्रस्तुत किए गए चालान दस्तावेज़ के अवलोकन पर, यह स्पष्ट होगा कि सचिव और आयुक्त, स्थानीय निकाय, हरियाणा ने निर्माण के लिए वर्ष 1987 में मंजूरी दे दी थी। सिरसा में एक ऑटो-सह-वाणिज्यिक बाजार का स्वीकृति की शर्त क्रमांक 1 के अनुसार 703 भूखण्डों का आवंटन पात्र व्यक्तियों को 'नो प्रॉफिट नो लॉस' के आधार पर किया जाना था। मंजूरी की शर्त नंबर 2 में पात्रता परिभाषित की गई थी यानी प्लॉट ऐसे लोगों को आवंटित किए जाने थे, जो पहले सिरसा में ऑटो या ऑटो से संबंधित दुकानों में काम कर रहे थे और ऐसे आवंटियों से एक शपथ पत्र लिया जाना था कि आवंटन मिलने के बाद न्यू ऑटो मार्केट में भूखंडों को शहर से बाहर स्थानांतरित करना होगा और इसके बाद ऑटो मार्केट में नए आवंटित भूखंडों से आगे का संचालन जारी रखना होगा। राज्य सरकार द्वारा दी गई मंजूरी में शर्त क्रमांक 4 में यह विचार किया गया कि 703 भूखण्डों को 'नो प्रॉफिट नो लॉस' के आधार पर आवंटन के बाद शेष 279 भूखण्डों को खुली नीलामी के माध्यम से बेचा जाना था। चालान दस्तावेज़ से पता चलता है कि याचिकाकर्ता, जो तत्कालीन उपमंडल मैजिस्ट्रेट, सिरसा था और उसके पास नगर परिषद, सिरसा के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार था, ने नगर परिषद, सिरसा के अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से भूखंडों के संबंध में भी अपात्र व्यक्तियों को आवंटन

किया था। जिन्हें अन्यथा नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाना था। कुछ अपात्र व्यक्तियों के नाम भी चालान दस्तावेज़ में दर्शाए गए हैं।

(11) चालान दस्तावेज़ प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता द्वारा अपराध किए जाने का खुलासा करता है। यह अदालत मामले के गुण-दोष और उस तरीके और पद्धति पर विचार करने से बचेगी जिसमें याचिकाकर्ता ने नगर परिषद, सिरसा के प्रशासक का कार्यभार संभालते समय अन्य सह-अभियुक्तों/नगर परिषद सिरसा के अधिकारियों द्वारा लगाए गए एक आधिकारिक नोट को मंजूरी दी थी और इस प्रकार ऑटो मार्केट, सिरसा में भूखंडों का आवंटन किया गया और इस प्रकार आवंटन की प्रक्रिया यानी नीलामी के माध्यम से विचलन किया गया। ये ऐसे मामले हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए और उचित साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के दौरान निपटाया जाना चाहिए। आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और मुख्य रूप से दस्तावेजी सबूतों पर आधारित हैं।

(12) चालान वर्ष 2016 में दायर किया गया था। यहां तक कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी भी वर्ष 2016 में दी गई थी। देरी के मुद्दे की जांच करने के लिए, इस न्यायालय ने सुनवाई की पिछली तारीख यानी 18.08.2017 को सुनवाई निम्नलिखित आदेश पारित किया था:

"याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि मार्च 1994 की घटना के संबंध में, एफआईआर वर्ष 1997 में दर्ज की गई थी और जैसा कि राज्य के वकील का कहना है कि जांच 2016 में पूरी हो गई थी और चालान 15.09.2016 को ट्रायल कोर्ट में दायर किया गया था। इस प्रकार, जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के लिए दो दशकों से अधिक की अवधि ली गई।

याचिकाकर्ता का कहना है कि यह त्वरित सुनवाई की अवधारणा का उल्लंघन है और इसलिए, याचिकाकर्ता आरोपमुक्त करने का हकदार होगा।

इसके विपरीत, विद्वान राज्य वकील का कहना है कि केवल जांच पूरी करने और चालान दाखिल करने में देरी एफआईआर को रद्द करने का आधार नहीं होगी। हालाँकि, मुझे लगता है कि राज्य से स्पष्टीकरण लेना आवश्यक है कि चालान दाखिल करने में दो दशकों से अधिक की अवधि क्यों व्यतीत की गई। इस मुद्दे पर निर्णय उसके बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि इस अदालत को यह पता लगाना होगा कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा त्वरित सुनवाई की अवधारणा पर वास्तव में ध्यान दिया गया है या नहीं।

18.09.2017 को फिर से सूची बनाएं ताकि राज्य उपरोक्त के अनुसार देरी को समझाते हुए व्यापक हलफनामा दायर कर सके।"

(13) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2017 के अनुपालन में, पुलिस उपाधीक्षक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, हिसार का एक अतिरिक्त हलफनामा दिनांक 08.09.2017 दायर किया गया और रिकॉर्ड पर रखा गया।

इसके अवलोकन से पता चलेगा कि मामला दर्ज होने के बाद, जांच अधिकारी ने भूखंडों के आवंटन से संबंधित रिकॉर्ड और श्री के बयान दर्ज करने के लिए नगर परिषद, सिरसा से संपर्क किया। सुरेश चंद, नगर परिषद, सिरसा में सीआरपीसी के तहत क्लर्क और जिन्होंने कहा कि भूखंडों के आवंटन से संबंधित पूरा रिकॉर्ड **सीडब्ल्यूपी-5214- 1997 (हजारा राम एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य)** दाखिल करने के कारण महाधिवक्ता, हरियाणा के कार्यालय को भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, हिसार ने महाधिवक्ता, हरियाणा को संबोधित पत्र दिनांक 17.10.2002 के माध्यम से जांच अधिकारी को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा लेकिन कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद, पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, हिसार ने ज्ञापन दिनांक 18.10.2005 को संबोधित किया और 05.02.2007 को महाधिवक्ता, हयाना को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए। महाधिवक्ता कार्यालय, हरियाणा ने दिनांक 06.02.2007 को इस आशय की रिपोर्ट दी कि रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए, चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से संपर्क किया जाए। अतिरिक्त हलफनामे के अनुसार, पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, हिसार ने जांच अधिकारी को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए इस अदालत के रजिस्ट्रार को दिनांक 18.10.2009 को पत्र लिखा, लेकिन कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। **CWP-5214-1997 (हजारा राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य)** को दिनांक 15.10.2010 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। रिट याचिका खारिज होने के बाद, जांच अधिकारी ने 02.06.2011, 12.12.2011, 05.02.2012, 02.08.2012, 20.11.2012, 19.12.2012, 10.01.2013, 25.01.2013, 01.04 को बार-बार मेमो जारी किया। .2013, 17.04.2013, 05.05.2013 और 05.06.2013 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सिरसा को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए भेजा गया लेकिन फिर भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। एक स्थिति का सामना करते हुए, महानिदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, पंचकुला ने दिनांक 10.05.2013 को ज्ञापन भेजकर मुख्य सचिव, सतर्कता विभाग, हरियाणा से मामले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए संबंधितों को निर्देश जारी करने का अनुरोध

किया। इसके बाद, मुख्य सचिव, सतर्कता विभाग, चंडीगढ़ ने हरियाणा राज्य के स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव से दिनांक 06.06.2013 के ज्ञापन के माध्यम से जांच अधिकारी को तत्काल प्रभाव से रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसके बावजूद जांच एजेंसी को रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। अंततः, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सिरसा ने पुलिस स्टेशन सिटी सिरसा में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर एफआईआर संख्या 704, दिनांक 12.09.2013, आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले के पंजीकरण के परिणामस्वरूप अधिवक्ता का कार्यालय जनरल, हरियाणा ने मेमो दिनांक 25.11.2013 के माध्यम से उपायुक्त, सिरसा को ऑटो मार्केट, सिरसा में भूखंडों के आवंटन से संबंधित रिकॉर्ड एकत्र करने के लिए सूचित किया। तदनुसार, श्री. अरविंद कुमार, सहायक, नगरपालिका समिति, सिरसा ने 10.12.2013 को महाधिवक्ता, हरियाणा के कार्यालय से रिकॉर्ड एकत्र किए। रिकॉर्ड पर रखे गए अतिरिक्त हलफनामे दिनांक 08.09.2017 में यह स्पष्ट किया गया है कि इसके बाद जांच में तेजी आई और आवंटन के पूरे रिकॉर्ड की जांच की गई और सभी आवंटियों से पूछताछ की गई और अंततः 05.09.2016 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

(14) यहां ऊपर देखा गया तथ्यात्मक आधार और जैसा कि पुलिस उपाधीक्षक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, सिरसा रेंज हिसार कार्यालय के दिनांक 08.09.2017 के अतिरिक्त हलफनामे में बताया गया है, चालान दस्तावेज़ दाखिल करने में देरी के संबंध में पर्याप्त और प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां देरी के लिए जांच एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और इसका उद्देश्य यहां आरोपी/याचिकाकर्ता पर कोई पूर्वाग्रह पैदा करना है। ऊपर देखे गए विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, चालान दस्तावेज़ दाखिल करने में देरी को शुरू किए गए आपराधिक अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जाएगा।

(15) सीडब्ल्यूपी-5214-1997 के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दी गई दलील को खारिज कर दिया गया है और उच्च न्यायालय ने ऑटो मार्केट, सिरसा में भूखंडों के गलत आवंटन के संबंध में पूरे पहलू की जांच की है, जो सही नहीं है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि CWP-5214-1997 को याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा की गई प्रार्थना और अनुरोध के अनुसार वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया था। किसी भी समय, इस न्यायालय ने असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऑटो मार्केट, सिरसा में भूखंडों के आवंटन के संबंध में गुण-दोष के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है का आधार बनता है। आक्षेपित एफआईआर में आरोप।

बृज भूषण कौशिक बनाम हरियाणा राज्य (तेजिंदर सिंह ढींढसा, जे.)

(16) ऊपर दर्ज किए गए कारणों और अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विवादित एफआईआर को रद्द करने की तत्काल याचिका में प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है। हालाँकि, इस तथ्यात्मक आधार को ध्यान में रखते हुए कि एफआईआर वर्ष 1997 में दर्ज की गई थी और चालान दस्तावेज वर्ष 2016 में प्रस्तुत किया गया था और मुकदमा चलाने की मंजूरी भी वर्ष 2016 में ही दी गई थी, मुकदमे के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। न्यायालय को मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लेने और इस आदेश के पारित होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर इसे समाप्त करने का निर्देश दिया गया है।

(17) याचिका खारिज की जाती है.

(18) हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर आरोपों की जांच नहीं की है और इस आदेश में शामिल किसी भी चीज़ को मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

अस्विकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी वयावहारिक और अधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रारंभिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुकत रहेगा।

सचिन गर्ग ट्रांसलेटर